आद्य गच्छस्थापक मुनिप्रवर **श्री मोहजित्विजयजी**
(मोटा पंडित म.सा.) के पट्टधर
गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद्विजय
युगभूषणसूरि
(पंडित म.सा.)

Ref : 202012H–03
(मूल गुजराती संस्करण से अनुवादित)

सकल श्रीसंघ के नाम ज्ञापन

व्यथा : जिनशासन की एक विषम परिस्थिति की

जगजयवंत जिनशासन

याने

समग्र विश्व में अजोड गरिमावंत शासन

सर्वोत्कृष्ट स्तर के तारक आलंबनों की भेंट दुनिया को देने वाला

धर्मतंत्र

उसी का एक गौरवपूर्ण अंग

याने

तरणतारणहार **तपागच्छ**

वर्तमान विषमकाल में भी लाखों के जीवन को प्रकाशित करने वाली पवित्र परंपरा **यानी तपागच्छ** ।

शासनस्थापक श्रमण भगवान महावीरस्वामी के 15वें पट्टधर, बेजोड पुण्यशाली, संघनायक श्री चंद्रसूरीश्वरजी महाराजा के पुण्यनाम से प्रवर्तित चांद्रकुळ के ही शाखाकुळ समान सुविशाल गच्छ **यानी तपागच्छ** ।

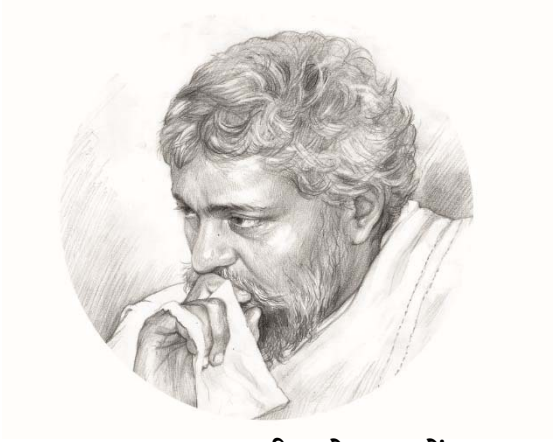

भगवान महावीर के 44वें पट्टधर, तपसम्राट, समर्थ गच्छाधिपति श्री जगच्चंद्रसूरीश्वरजी महाराजा के महिमावंत बिरुद से प्रसिद्धि प्राप्त पावन परंपरा **वही तपागच्छ** ।

सैकडों वर्षो में हजारों प्रभावक धर्माचार्यों, पवित्रता के पुंज समान लाखों साधु-साध्वीजी भगवंतों तथा करोडों अनमोल श्रावक-श्राविकाओं की रत्नकुक्षी परंपरा **यानी तपागच्छ** ।

कर्मग्रंथ प्रणेता तपागच्छाधिपति श्री देवेन्द्रसूरीश्वरजी, अकबरप्रतिबोधक जगद्गुरु श्री विजयहीरसूरीश्वरजी, प्रकांड विद्वान उपा. श्री विनयविजयजी, महासमर्थ प्रावचनिक प्रभावक उपा. श्री यशोविजयजी आदि अनेकानेक परमोपकारी महापुरुष – जिनकी समृद्ध वाणी की विरासत आज भी सकल संघ की बेजोड जमापूंजी है – ऐसे नररत्नों की जननी समान परंपरा **वही तपागच्छ** ।

जबरदस्त लोकोपकार और बेशुमार साहित्य की मात्र जैनशासन को ही नहीं, लेकिन समग्र विश्व को भेंट देने वाली परंपरा **यानी तपागच्छ** ।

- ☯ श्वेतांबरों में सर्वाधिक व्याप, प्रभाव, अनुयायियों की संख्या धारण करने वाला, सब से ज्यादा समृद्ध और विपुल साहित्य समृद्धि वाला गच्छ **यानी तपागच्छ** ।
- ☯ जिनशासन, उसकी गरिमा, उसके तीर्थ आदि की सीमाचिनरूप सुरक्षा करने वाला गच्छ **यानी तपागच्छ**।
- ☯ कट्टरपंथी राजाओं को भी प्रतिबोध करके अहिंसा प्रवर्तन जैसे आदर्श शासनप्रभावना के कार्य कराने वाला समर्थ गच्छ **यानी तपागच्छ** ।
- ☯ जिसके पूर्वजों ने शास्त्रानुसारिता और हठाग्रहनिषेध को मुख्य नीति के रूप में स्थापित की – ऐसा गच्छ **यानी तपागच्छ** ।
- ☯ हज़ारों धर्मस्थान, हज़ारों साधु-साध्वी तथा लाखों श्रावक-श्राविका युक्त व्यापक धर्मतंत्र के द्वारा लोककल्याण का जबरदस्त प्रवाह बहाने वाली तेजस्वी **परंपरा यानी तपागच्छ** ।

इस तपागच्छ पर वर्तमान में संकट के बादल मंडरा रहे हैं...

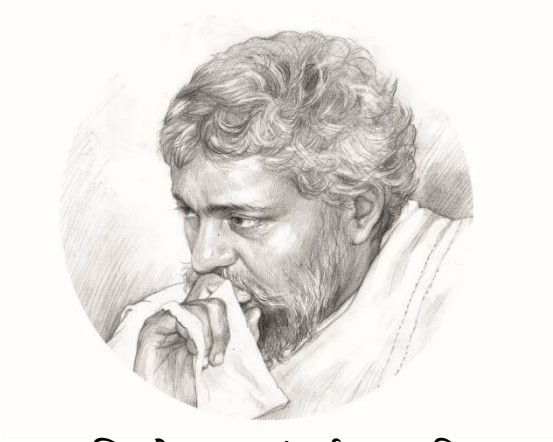

जिसके तहत संपूर्ण गच्छ की शासनसेवा करने की क्षमता, नई पीढ़ी को धर्माभिमुख करने का सामर्थ्य, जिनशासन की महत्त्वपूर्ण तात्त्विक बातें बेरोकटोक रूप से जन जन तक पहुँचाने वाला ढ़ांचा तहस नहस हो जाएँ और विशाल अखंड तपागच्छ अलग अलग टुकडों में बंट जाएँ – इस हद तक हलचल शुरु हो चुकी है । विभाजन की शुरुआत इस तरीके से शुरु हो गई है कि खुद तपागच्छ हाशिये में चला जाएँ।

छोटे छोटे मान्यताभेद, आचार या सामाचारी में विविधता, शास्त्रदृष्टि से महत्त्वहीन मुद्दों, तत्त्वस्थापना के लिए अनावश्यक मतभेदों को आगे करके देवसूर गच्छ या आणसूर गच्छ, एक तिथिपक्ष या दो तिथिपक्ष के बैनर तले तपागच्छ को ढ़कने की दुःखद घटनाएँ आकार ले रही हैं ।

जिनमें तत्त्वभेद न हो ऐसी मामूली आचरणाओं के नाम से पक्षीय आग्रह इस स्तर तक पहुँचाएँ जाते है कि —

- ☯ जो संघभेद का आधार बन जाएँ,
- ☯ मूलभूत तपागच्छ के क्षेत्रों पर भी उन-उन मान्यतावालों का ही वर्चस्व खडा हो जाएँ,
- ☯ उससे अलग मान्यतावालों का पत्ता कट जाएँ,
- ☯ वर्चस्व के ज़ोर पर एकपक्षीय मान्यतावालों को ही उनकी आराधना करने दी जाएँ,
- ☯ उनके सिवाए तपागच्छ में ही शामिल दूसरी मान्यता वाले अनुयायियों को आराधना में बाधा खडी की जाएँ,

अरे ! यहां तक कि उन उन क्षेत्रों में वर्चस्व रखने वाले परिबलों के अनुकूल महात्माओं का ही स्वागत हो, उन्हीं को अनुकूलता दी जाएँ,

- ☯ उनके मुख से ही जिनवाणी सुनने दी जाएँ,
- ☯ उनकी निश्रा में ही धर्मकार्य करने दिए जाएँ,

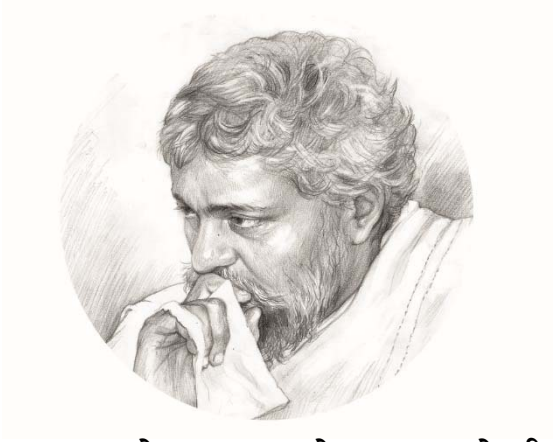

- उनसे अलग पक्ष के तपागच्छ के ही संयमी साधुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएँ मानो वे तपागच्छ से बहिष्कृत किए गए हो,
- उनके प्रवचन अश्राव्य घोषित किए जाएँ,
- अन्य पक्ष के महात्माओं को पराया मानकर उनकी निश्रा, सांनिध्य, उपदेश का बहिष्कार किया जाएँ,
- खुद के पक्ष की खामियों को ढ़क दिया जाएँ,
- अन्य पक्ष की खूबियों को छिपाया जाएँ,

मानो पू. आनंदघनजी महाराजा के उद्‌गार सार्थक होते दिख रहे हो कि

''गच्छना भेद बहु नयण निहालतां, तत्त्वनी वात करतां न लाजे !
उदरभरणादि निजकाज करतां थकां, मोह नडिया कलिकालराजे'' ।

वर्तमान हालात के कडवे फल

ऐसे विचित्र वातावरण के गंभीर दुष्परिणाम आ रहे हैं । तपागच्छ के भी कोई संसारत्यागी महात्मा, उनका समुदाय या गच्छ चाहे कितना ही त्यागी, वैरागी, ज्ञानी, आचारसंपन्न, देव-गुरु-धर्म को समर्पित या प्रभावक क्यों न हो लेकिन उन्हें भी जो वर्तमान तपागच्छ में टिके रहना हो, स्वस्थता से विचरण करना हो तो किसी एक पक्ष की मान्यता को अनिच्छा से भी समर्थन देना ही पडे । चाहे उनकी अंतरात्मा जानती भी हो कि ''यह बात जिनाज्ञानुसार नहीं है'' फिर भी उनके समक्ष दूसरा कोई विकल्प ही न बचा हो ।

यदि वे आँखें बंद कर पक्षीय परिबलों का समर्थन करना न चाहते हो तो तपागच्छीय स्थानों में भी उनका रहना मुश्किल भरा हो जाएं । कितने ही गाँवों, शहरों, क्षेत्रों के दरवाज़ें उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएं, उनके लिए खुले शहरों में भी कदम कदम पर संयम की आराधना के सभी क्षेत्रों में रुकावटें खडी की जाएँ । ऐसी परिस्थिति में शासन की आराधना–प्रभावना–रक्षा हेतु platform,

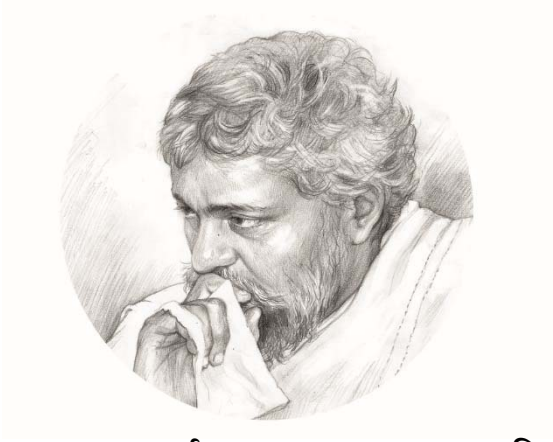

सहायता, समर्थन, infrastructure आदि तो दूर की बात रही लेकिन संघ में उनके टिकने, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खडा हो जाएं ।

खुद भगवान महावीर स्वामी ने शासननायक गणधर भगवंतों को और उनके वारिसदारों को आगे आगे धर्ममार्ग प्रवर्तन और वहन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है । इसे निभाने के लिए तीर्थंकरों द्वारा दिए गए अधिकारों पर उसी भगवान के अनुयायी, तपागच्छ के कुछ आंतरिक सामान्य मतभेदों में समर्थन या विरोध नहीं करने के बहाने बिल्कुल अनुचित प्रतिबंध लगा रहे है । जिन मतभेदों को मानने या न मानने से धर्म, शासन या संघ तो क्या, पर तपागच्छ की मर्यादा को भी आँच नहीं आएं, फिर भी उसके नाम पर महात्माओं के धर्मप्रचार के अधिकारों पर खुलेआम हस्तक्षेप करना तपागच्छ की सामान्य घटना गिनी जा रही है । यह हस्तक्षेप सिर्फ वर्तमान साधुओं पर ही प्रतिबंध नहीं है बल्कि प्रवचनादि द्वारा प्रभावित होकर शासन को मिलने वाले अनेक तेजस्वी, आशास्पद, समर्थ, प्रभावक साधुओं के निर्माण पर भी प्रतिबंध है, जो समझा जा सकता है ।

ऐसा करने का जरा सा भी अधिकार किसी भी श्रावक या साधु को नहीं है । न ही किसी पंचमहाव्रतधारी साधु को आने से रोकने का या न ही जिनवाणी सुनाने से रोकने का अधिकार । साधु भगवंतों को वसति प्रदान करना या जिनवाणी सुनना या सुनाना – इन्हें जैनशासन में उच्च कक्षा के धर्मकार्य में गिना गया है । ऐसे कार्य बेरोकटोक रूप से चलते रहे यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी भगवान ने हम सब पर रखी है, तो उसमें रोडें डालने का तो सवाल ही कैसे आ सकता है ? फिर भी ऐसी बाधाएँ खडी करने वालों को कैसे फल भुगतने पडते है वो शास्त्र के पन्नों से सुनेंगे तो रोंगटे खडे हो जाएँगे ।

गंभीरता से सोचने की ज़रुरत है कि इस गतिविधियाँ का अंजाम क्या आएगा । जैनधर्म के केन्द्रस्थान में रहे ठोस मर्म, तत्त्वज्ञान की बातें, उपदेश, आचारमार्ग आदि पर सामान्य कहे जा सकने वाले पक्ष–विपक्ष के मुद्दें हावी होकर तत्त्वमार्ग को कुचल देंगे । नतीजन नास्तिकयुग में से आने वाली नई पीढ़ी तो सामान्य मुद्दों या विवाद को दिए जाने वाले महत्त्व को देखकर धर्म को दूर से ही सलाम कर

लेगी । जो फिलहाल व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष नज़र आ ही रहा है । यह घटना धर्मशासन, तपागच्छ या आनेवाली पीढ़ी के भविष्य पर एक बडा सवालिया निशान खडा कर रही है ।

हर एक बात में यदि साधु को आज के तथाकथित ट्रस्टीवर्ग की खुशामत करके ही शुरुआत से विचरण करना हो, तो ''शहनशाह की भी फिक्र किए बिना राजा–महाराजाओं को भी अवसर के अनुरूप हितकारी सत्य अवश्य कहे'' – शास्त्रकथित ऐसी विधि के अनुसार निर्भीक और मध्यस्थ देशना देने वाले साधु शासन में कैसे तैयार होंगे ?

तपागच्छ को कोने में धकेलकर दूसरे-तीसरे पक्षीय नाम उछालने की पद्धति के कारण तपागच्छ की स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व मिट जाने का जोखिम खडा होता दिखाई दे रहा है । जिस विरासत को जान की बाज़ी लगाकर हमारे पूर्वजों ने समृद्ध बनाई थी उस पर गुटबाज़ी के कारण संकट के बादल मंडराने लगे हैं ।

तपागच्छ के वर्तमान नेतृत्व की परिस्थिति

इस हृदयद्रावक और चिंताजनक परिस्थिति में समय रहते समाधान लाने के लिए सुज्ञजनों को जागने की तुरंत आवश्यकता है । इन हालातों को यदि दूर नहीं किया गया तो इसके कडवे फल समस्त श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ को भुगतने पड सकते है – ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं ।

लेकिन अफसोस की बात है कि श्रमण संघ के नेतृत्व में अधिकांश रूप से पक्षीय आग्रह या निष्क्रियता दिखाई देती है । साथ ही अत्यंत खेद की बात है कि सक्षम श्रावक सक्रिय होने की तैयारी नहीं बताते और समस्त श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी के पदाधिकारी श्रावक तो श्रमण संघ की इस विषम परिस्थिति की लगभग उपेक्षा ही करते आए हैं ।

और तो और उनका प्रतिनिधित्व भी काफी कमज़ोर है क्योंकि वे खुद को द्विविध संघ के ही संचालक के रूप में बताते है ।[1] जबकि वास्तव में तीर्थंकरों ने चतुर्विध संघ की स्थापना की है ।

---

[1] **''व्याख्या.** इस नियमावली में पूर्वापर संबंध को बाधा न पहुँचे तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार किया जाएँ...

अनंतकाल से आज तक किसी भी तीर्थंकर ने द्विविध संघ की स्थापना नहीं की है । **मात्र द्विविध संघ तीर्थंकर द्वारा स्थापित संघ का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ।** यह बात वर्षों पूर्व भायखला केस के फैसले में अदालत ने भी स्पष्ट रूप से कही है ।[2] हकीकत में पेढ़ी के संविधान में भी इस बात का ही समर्थन है ।[3] अत: आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी कभी भी श्रमण संघ की प्रतिनिधि बनी नहीं और जब तक योग्य प्रक्रिया न की जाएँ तब तक वह श्रमण संघ का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती ।

और तो और वर्षों से डायनेस्टी रुल (वंशपरम्परावाद) के कारण आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी का श्रावक संघ का प्रतिनिधित्व भी कमज़ोर ही रहा है ।[4] इसके अलावा ट्रस्टी बनने के नियम भी सर्वग्राह्य

श्री संघ – याने अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक **श्रावक संघ** ।"

(सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी की नियमावली दि. 1-4-93 तक संशोधित द्वितीय आवृत्ति)

[2] ''446.... Amritlal's claim **that Anandji Kalyanji is Shri Sangh for whole of India cannot be accepted (p. 380 of evidence) as no Sadhus or Sadhwis are its members.**''

(Suit No. 3544 of 1967 in the Bombay City Court at Bombay)

[3] "**भूमिका...** अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्रीसंघ के प्रतिनिधि के रूप में सेठ आणंदजी कल्याणजी के नाम से लंबे समय से तीर्थ आदि के धार्मिक और धर्मादा खातों के चलते आए प्रबंधन को दि. 19 सितंबर सन् 1880 को अहमदाबाद में एकत्रित हुई **भारत के मूर्तिपूजक श्रावक संघ की सभा ने मंजूरी दी थी** और इस बैठक में शत्रुंजय पहाड और मंदिरों का **श्रावक समुदाय के योग्य कार्यों और किसी भी प्रकार से उससे संबंधित श्रावक समुदाय की ओर से किए जाने वाले सभी कार्य करने हेतु सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी का संविधान गठित किया गया ।** और तब से उस संविधान के अनुसार सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी का प्रबंधन चलता था ।"

(सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी की नियमावली : दि. 1-4-93 तक संशोधित द्वितीय आवृत्ति)

नोट : इसमें श्रमणों का प्रतिनिधित्व तत्कालीन श्रमणसंघ से मांगा गया हो – ऐसा नहीं दिखता ।

[4] "सेठ प्रेमाभाई हीमाभाई, जिन्हें स्व. सेठ शान्तिदास के वारिस के रूप में उपर्युक्त पहाड तथा मंदिर उक्त समुदाय की ओर से तथा उनकी ओर से ट्रस्ट में सौंपे गये हैं, वे तथा सेठ शान्तिदास के कुटुंब का जिस समय **जो वारिस हो वे वहीवट करने वाले उपर्युक्त प्रतिनिधियों की कमिटि के वंशपरम्परा से सभापति तथा पदेन सदस्य हो – उन्हें इस प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया गया है ।"**

(पेढी का सन 1880 के संविधान का ठहराव-4, सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी का इतिहास, भाग-1, पृ. 159)

नहीं है[5] और ट्रस्टियों को नियुक्त करने के लिए उम्मीदवार का निर्णय ट्रस्टियों तक ही सीमित रखा गया है[6] जो एक विशाल प्रतिनिधित्व की खामी दर्शाता है ।

जैनों का अभूतपूर्व migration होने के बावजूद प्रतिनिधियों की constituency भी reform नहीं की गई है । इसलिए proportionate प्रतिनिधित्व भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता । साथ ही पेढ़ी का संविधान, प्रतिनिधियों का कोई substantial power भी नहीं दर्शाता है ।

ये तो बात हुई प्रतिनिधित्व की ढ़ांचागत खामियों की । इसके अलावा श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ के तमाम गच्छ या पक्ष के अनुयायियों के साथ मध्यस्थ व्यवहार करने, उनके धार्मिक अधिकार सुरक्षित रखने या योग्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में भी पेढ़ी काफी हद तक निष्फल साबित हुई है । पेढ़ी का पक्षीय झुकाव भी प्रतिनिधित्व को बहुत धक्का पहुँचाने वाला है ।

भारतभर के स्थानीय संघों के प्रबंधन की सत्ता आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी ने संविधान द्वारा अपने पास रखी है ।[7] फिर भी वह संघ-शासन के कई महत्त्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा कर अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हटती है ।

---

[5] "**प्रांतीय प्रतिनिधि और ट्रस्टी :...** प्रतिनिधि और ट्रस्टी कौन और कब हो सकता है... 6... जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्रावक जो **अहमदाबाद के निवासी** हो वही श्रावक इस पेढ़ी में प्रबंधन, व्यवस्था और संचालन के लिए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त हो सकता है ।"

(सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी की नियमावली दि. 1-4-93 तक संशोधित द्वितीय आवृत्ति)

[6] "**ट्रस्टी पद खाली होने पर उस जगह पर नियुक्ति :** .... 24. इस पेढ़ी के ट्रस्टी का पद खाली होने पर उसकी जगह **ट्रस्टियों की समिति अहमदाबाद निवासी अन्य किसी योग्य व्यक्ति का नाम ट्रस्टी के रूप में बहुमति से सुझाए...**।"

(सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी की नियमावली दि. 1-4-93 तक संशोधित द्वितीय आवृत्ति)

[7] "ठहराव नं. 8 .... और अन्य जो जो कार्य करने की उन्हें ज़रुरत लगे वे सभी कार्य करने हेतु समस्त हिन्दुस्तान का उपरोक्त सकल संघ या **जिस किसी स्थानीय संघ का जो जो कार्य करने का खुद का जो कानूनी अधिकार है और हो वे सभी कार्य करने के लिए सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी के समय समय पर प्रबंधन करने वाले जो जो प्रतिनिधि हो उन सभी को या उनकी बैठक द्वारा प्रबंधन करने के लिए निर्णित एक या एक से अधिक प्रतिनिधि को कुल अधिकार सौंपे जाते है ।"**

(पेढ़ी का सन् 1912 का संविधान ठहराव-8)

प्रतिनिधि के तौर पर प्राथमिक ज़िम्मेदारी भी दशकों से अदा हो रही हो – ऐसा दिखाई नहीं दे रहा । क्योंकि अनेक तीर्थों के श्वे.मू.पू. संघ के अधिकार पिछले कई वर्षों में क्रमश: हमने गंवाए हैं जिससे जैन संघ को इतना नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती । फिर भी धर्माचार्य से लेकर आम आदमी तक के संघ के सदस्य ऐसी जानकारी से लगभग अनजान ही रहते हैं । क्योंकि उन्हें प्रसारण द्वारा सामान्य जानकारी भी सही तरीके से पहुँचाई नहीं जाती ।

ये सभी बातें अत्यंत आघातजनक है और लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो जैन संघ को न जाने कितने धार्मिक अधिकार स्थायी रूप से गंवाने पडेंगे – उसकी कल्पना करना मुश्किल है ।

अंत में शासन देव से यही प्रार्थना करते है कि इस कलिकाल में भी जिनाज्ञानुसार शासन को विजयी रखने के लिए शासन में योग्य समर्थ पुरुष, अपनी निर्मल बुद्धि और हितकारी प्रयत्नों को सफल कर संघ का अभ्युदय करने में सदा सहायक बने वही एक मंगल कामना ।

Sd.

वि.सं. २०७७, कार्तिक वद - ५ **(ग.आ. युगभूषणसूरि)**

दि. ५ दिसंबर २०२०

मुम्बई.

नोट : इस लेख को लिखने में प्रेरकबल कोई व्यक्तिगत असंतोष या अपेक्षा नहीं है । वर्तमान जिनशासन में हम वर्षों से संयम आराधना के साथ विचरण कर रहे है । कई ऐसे अवर्णनीय कडवे अनुभव प्रभुकृपा से शांतमन से स्वीकारे है और आजीवन इसी प्रकार स्वपरिवार सहित स्वीकारने की तैयारी रखते है । पूर्व में नेतृत्व धारकों को योग्य प्रयत्न द्वारा अवगत और प्रेरित करने पर भी निष्क्रियता दिखने पर मात्र शासन के भविष्य की चिंता से यह वेदना श्रीसंघ के अपरिचित सुज्ञजनों को जागृत करने के लिए सार्वजनिक रूप से व्यक्त की है । वास्तव में यह मुश्किल काम करने के लिए अंतर में प्रेरणास्रोत एकमात्र जिनाज्ञा ही है ।